न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

लक्ष्मणकुमार पुत्र धनराज जी, जाति– सोनी, निवासी– दांतराई, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) ग्राम पंचायत, दांतराई जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, दांतराई, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

(2) रोनक उर्फ राजु पुत्र अजीतकुमार राठौड़, जाति– हिन्दु, निवासी– Lucky Metal, H 234, M.G.C. Sangaria, Jodhpur

पंचायत निगरानी संख्याः 07/2022

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, अप्रार्थी संख्या– 2 (रोनक उर्फ राजु) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 16 जुलाई, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी का निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या– 2 (रोनक उर्फ राजु) की ओर से अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 2 (रोनक उर्फ राजु) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, दांतराई को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत, दांतराई की ओर से कोई उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त RRT 2009(2) Page 1346, RLW 2005(1) RJ Page 503-507 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ग्राम दांतराई का मूल निवासी है व बहरा व गूंगा व्यक्ति है जो सुन नही सकता है तथा न ही बोल सकता है। प्रार्थी ने दिनांक 13.1.1998 को श्रीमती निर्मलाबेन पुत्री प्रकाशभाई यादव के साथ हिन्दू रितीरिवाज के अनुसार विवाह किया था। श्रीमती निर्मलाबेन पुत्री प्रकाशभाई यादव पूर्व से ही विवाहित थी और उसका प्रथम विवाह अजीतकुमार राठौड़ पुत्र श्री हरिसिंह राठौड़, निवासी– अहमदाबाद के साथ हुआ था। निर्मलाबेन तथा अजीत कुमार के दाम्पत्य जीवन से एक पुत्री धर्मीष्ठाबेन तथा एक पुत्र रोनक का जन्म हुआ। निर्मलाबेन व अजीतकुमार के बीच हुए विवाह का विघटन दिनांक 04.8.1994 को आपसी सहमति से किया गया, जिसका करार दिनांक 04.8.1994 को लिखा जाकर नोटेरी से तस्दीक किया गया। अप्रार्थी रोनक उर्फ राजु के पिता अजीतकुमार राठौड़ पुत्र हरिसिंह राठौड़, निवासी– अहमदाबाद है, जिनसे अप्रार्थी रोनक उर्फ राजु का जन्म हुआ है। श्रीमती निर्मलाबेन व अजीतकुमार राठौड़ के विवाह विच्छेद के बाद निर्मलाबेन का दूसरा विवाह प्रार्थी

....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:57:27 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

लक्ष्मणकुमार के साथ दिनांक 13.1.1998 को हुआ एवं इस विवाह के समय अप्रार्थी रोनक उर्फ राजु श्रीमती निर्मलाबेन के साथ ही निवास कर रहा था। अप्रार्थी रोनक उर्फ राजु को श्रीमती निर्मलाबेन अपने साथ लेकर प्रार्थी के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने आई थी। अप्रार्थी रोनक उर्फ राजु, प्रार्थी लक्ष्मणकुमार का पुत्र नही है तथा न ही प्रार्थी से कोई खून का रिश्ता है। विवाह के चार पांच माह बाद श्रीमती निर्मलाबेन का देहान्त हो जाने के कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी रोनक उर्फ राजु का पालन पोषण मानवता के नाते अवश्य किया है। प्रार्थी का श्रीमती निर्मलाबेन के साथ विवाह विलेख दिनांक 13.1.1998 में तथा उसके विवाह विघटन करार दिनांक 04.8.1994 में श्रीमती निर्मलाबेन व अजीतकुमार राठौड़ का अप्रार्थी रोनक पुत्र होने का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। यह कि प्रार्थी ने अपने स्वामित्व के आवासीय मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत, दांतराई में आवेदन किया तथा ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा नियमानुसार पट्टा बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, जिस पर अप्रार्थी रोनक उर्फ राजु ने प्रार्थी के आवासीय मकान का पट्टा बनाने में आपत्ति प्रस्तुत की, जिसमें अप्रार्थी रोनक उर्फ राजु ने अपने आपको प्रार्थी का पुत्र होना जाहिर करते हुए उक्त सम्पति में उसका आधा हिस्सा होना जाहिर किया। अप्रार्थी रोनक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति गलत व आधारहीन होने से प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, दांतराई के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिस पर ग्राम पंचायत, दांतराई ने दिनांक 02.11.2021 को यह आदेश पारित किया कि दोनो पक्षों को न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निर्णय लेने हेतु कहा गया तथा न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही पट्टा जारी किये जाने का निर्णय लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। यह कि ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 02.11.2021 सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध है। पत्नी के साथ पूर्व पति का कोई पुत्र या पुत्री विवाह के समय साथ आता है तो उसे गेलड पुत्र के नाम से जाना जाता है तथा गेलड पुत्र का उसके माता के दूसरे पति की सम्पति में कोई हक अधिकार नही होता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि "गेलड पुत्र" का उसके जायन्दा पिता की सम्पति में ही हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। उक्त न्यायिक स्थिति को नजर अन्दाज कर ग्राम पंचायत द्वारा गलत व विधि विरुद्ध आदेश पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध है तथा ग्राम पंचायत, दांतराई ने विधि विरुद्ध आदेश पारित कर प्रार्थी के आवासीय मकान का पट्टा बनाने में रोक लगाई है जो गलत है। यह कि प्रार्थी अपनी दूसरी पत्नी भावना के साथ वादग्रस्त मकान में निवास कर रहा है एवं अप्रार्थी रोनक उर्फ राजु के बालिग होने के बाद से जोधपुर में निवास कर रहा है। अप्रार्थी रोनक उर्फ राजु का वादग्रस्त मकान में कोई अधिकार नही है तथा प्रार्थी को अपने आवासीय मकान का पट्टा बनाये जाने का पूर्ण हक अधिकार है। वादग्रस्त मकान में बिलजी तथा पानी का कनेक्शन भी प्रार्थी के नाम से लिया हुआ है। प्रार्थी तथा उसके भाईयों के मध्य हुए आपसी विभाजन में वादग्रस्त मकान प्रार्थी के हिस्से में आया है तथा वादग्रस्त मकान प्रार्थी के स्वामित्व कब्जे भोगवटा का होने से प्रार्थी के नाम से पट्टा जारी किये जाने में कोई कानूनी बाधा नही होते हुए भी ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। यह कि प्रार्थी लक्ष्मणकुमार गूंगा व बहरा व्यक्ति है एवं प्रार्थी की सेवा उसकी पत्नी भावना कर रही है व प्रार्थी के हक में उसकी सम्पति का पट्टा जारी नही होने से प्रार्थी को मानसिक वेदना झेलनी पड़ रही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2021 को निरस्त किया जावे एवं ग्राम पंचायत, दांतराई को उक्त आवासीय मकान का प्रार्थी के हक में पट्टा जारी किये जाने हेतु आदेशित किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या– 2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता श्री देवासी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी गूंगा व बहरा अवश्य है, ले[illegible] व अनपढ़ व्यक्ति नही है। प्रार्थी

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:57:27 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सत्यमेव जयते
सिरोही

लक्ष्मणकुमार ने श्रीमती निर्मलाबेन पुत्री प्रकाशभाई यादव के साथ हिन्दू रितीरिवाज के अनुसार विवाह किया था। अप्रार्थी रोनक के पिता अजितकुमार राठौड़ पुत्र हरिसिंह राठौड़, निवासी–अहमदाबाद होना या नही होना, इससे अप्रार्थी संख्या–2 का कोई लेना देना नही है। अप्रार्थी संख्या–2 राजू पुत्र लक्ष्मण कुमार सोनी है, न की रोनक पुत्र अजितकुमार राठौड़। रोनक कौन है? कहां से है? इसका राजू पुत्र लक्ष्मण कुमार से कोइ लेना देना नही है। निर्मला बेन व अजित कुमार राठौड विवाह विच्छेद के बाद धर्मिष्ठा का विवाह प्रार्थी लक्ष्मणकुमार के साथ दिनांक 13.1.1998 को हुआ हो तो अप्रार्थी संख्या–2 राजू को कोई जानकारी नही है। अप्रार्थी संख्या 2 राजु निर्मला बेन व लक्ष्मण कुमार की जायन्दा औलाद है, रोनक को निर्मलाबेन साथ में लकर आई हो तो अप्रार्थी संख्या 2 राजू पुत्र लक्ष्मण को कोई जानकारी नही है। अप्रार्थी संख्या 2 राजू का प्रार्थी लक्ष्मणकुमार से खून का रिश्ता है। यह सही है कि राजू की माता निर्मलाबेन के दोहान्त के बाद राजू के पिता प्रार्थी लक्ष्मणकुमार ने पालन पोषण किया है। प्रार्थी का निर्मला बेन के साथ कब विवाह हुआ एवं निर्मला बेन का अजित कुमार राठौड के साथ कब विवाह विघटन हुआ, इसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या–2 राजु को नही है। वादग्रस्त सम्पति केवल प्रार्थी का नही है, इसमें अप्रार्थी संख्या 2 राजू का भी हक है। अप्रार्थी संख्या 2 राजू ने उक्त आवासीय मकान का पट्टा बनाने में आपत्ति सही प्रस्तुत की है और अप्रार्थी संख्या 2 राजू, प्रार्थी लक्ष्मणकुमार का ही पुत्र है जिससे उक्त आवासीय सम्पति में अप्रार्थी संख्या 2 राजू का आधा हिस्सा आता है। अप्रार्थी संख्या 2 राजू द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सही होने से ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा दिनांक 02.11.2021 को सही आदेश पारित किया है। इस प्रकरण में राजू पुत्र लक्ष्मण गेलड पुत्र नही है। अप्रार्थी राजू, प्रार्थी लक्ष्मणकुमार व निर्मलाबेन का ही जायन्दा पुत्र है एवं उसके अपने जायन्दा पिता प्रार्थी लक्ष्मणकुमार की सम्पति में हिस्सा प्राप्त करने का कानूनन हक अधिकार है। प्रार्थी लक्ष्मणकुमार ने अब अपनी दूसरी पत्नी भावना के बहकावे में आकर अप्रार्थी राजू पुत्र लक्ष्मण को सम्पति से वंचित करना चाहती है। ग्राम पंचायत, दांतराई को भी यह जानकारी है कि राजू पुत्र लक्ष्मण प्रार्थी का गेलड पुत्र ना होकर जायन्दा पुत्र है। प्रार्थी लक्ष्मणकुमार अपनी दूसरी पत्नी भावना के साथ वादगस्त मकान में निवास अवश्य कर रहा है, लेकिन उक्त वादगस्त मकान को अकेला अपने नाम से हडप नही कर सकता। अप्रार्थी राजू अपने जीवन यापन हेतु जोधपुर में नौकरी करता है एवं अपने घर भी आता जाता रहता है। अप्रार्थी राजू प्रार्थी का पुत्र है एवं उक्त सम्पति पुश्तैनी सम्पति है तथा विभाजन के जरिये राजू को भी मिली है तो प्रार्थी केवल अपने नाम से अकेला ही उक्त सम्पति का पट्टा प्राप्त नही कर सकता है। प्रार्थी लक्ष्मणकुमार द्वारा उक्त आवासीय सम्पति में बिजली व पानी का कनेक्शन अपने नाम से लेने मात्र से केवल प्रार्थी उक्त सम्पति का मालिक नही बन सकता है। उक्त आवासीय सम्पति प्रार्थी व उसके भाईयों के आपसी विभाजन में प्रार्थी लक्ष्मणकुमार के अकेले के ही हिस्से में न आकर अप्रार्थी राजू के हिस्से में भी आई है जिसका उल्लेख सम्पति के पारिवारिक विभाजन करार में किया हुआ है। जब उक्त आवासीय सम्पति प्रार्थी के अकेले की है ही नही तो उसे मानसिक वेदना झेलनी नही पड रही है, बल्कि मानसिक वेदना अप्रार्थी राजू को झेलनी पड रही है। यह कि अप्रार्थी राजू पुत्र लक्ष्मण, प्रार्थी व निर्मलाबेन का जायन्दा पुत्र होने से अप्रार्थी राजू के आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों व अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम लक्ष्मण व माता का नामा निर्मला अंकित है एवं उक्त सभी दस्तावेज भी प्रार्थी लक्ष्मणकुमार द्वारा ही तैयार करवाये गये है, क्योंकि अप्रार्थी राजू की माता का बचपन में ही दोहान्त हो गया था। विद्यालय में प्रवेश भी राजू के पिता लक्ष्मण द्वारा ही करवाया था। अब अप्रार्थी राजू पुत्र लक्ष्मण को यह सुनने में आया है कि उसका सगा पिता प्रार्थी लक्ष्मण उसे अपना पुत्र नही मानता है जबकि इस संबंध में प्रार्थी लक्ष्मण ने पूर्व में कभी कोई ऐतराज व आपत्ति नही की

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:57:27 IST
Reason: SelfAttested

है। यह कि दिनांक 13.12.2016 को प्रार्थी लक्ष्मण कुमार व उसके भाई रमणलाल, मगनलाल व माता गवरी देवी पत्नी धनराजजी के मध्य पुश्तैनी कब्ज भोगवटे के आवासीय थाले का आपसी बंटवाडनामा किया है तथा उसका दस्तावेज तैयार कर नोटेरी से तस्दीक करवाया है एवं इस दस्तावेज में पृष्ठ संख्या 2 के पद संख्या 2 में यह वर्णित है कि ''उपर वर्णित नाप व चतुर्दशी वाले थालों में से महादेवजी मंदिर जाने वाली गली में स्थित 910 वर्गफीट थाला आप श्री लक्ष्मण कुमार पुत्र धनराजजी सोनी व गवरी देवी पत्नि धनराजजी सोनी, निवासी– दांतराई के हक हिस्से में आया है जिसका उपयोग व उपभोग आप श्री लक्ष्मण कुमार व गवरीदेवी अपनी इच्छानुसार कर सकोंगे तथा लक्ष्मण कुमार के हिस्से में आने वाले भाग में राजू पुत्र लक्ष्मण कुमार का हिस्सा रहेगा।'' उक्त दस्तावेज को पढ समझकर ही प्रार्थी लक्ष्मणकुमार ने उस पर हस्ताक्षर किये है। प्रार्थी ने कभी भी यह आपत्ति नही उठाई कि राजू, प्रार्थी लक्ष्मण का पुत्र नही है और न ही उक्त सम्पति में राजू का कोई हिस्सा रहेगा। इस प्रकार, प्रार्थी लक्ष्मणकुमार ने अब अपनी दूसरी पत्नि भावना के बहकावें में आकर झूठे कथनों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने इस निगरानी आवेदन के माध्यम से अप्रार्थी राजु उसकी वैध सन्तान नही होने के संबंध में प्रश्न पैदा किया है, जो इस न्यायालय द्वारा इस निगरानी के माध्यम से तय नही किया जा सकता है। इस बिन्दु का निर्धारण सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या– 2 के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि आधार कार्ड में राजू की जन्म तिथि 23 अगस्त, 1992 अंकित है, जबकि प्रार्थी लक्ष्मणकुमार का श्रीमती निर्मलाबेन पुत्री प्रकाशभाई यादव के साथ विवाह दिनांक 13 जनवरी, 1998 को हुआ था, इससे भी यह साबित होता है कि अप्रार्थी रोनक उर्फ राजु गेलड पुत्र है तथा गेलड पुत्र का अपनी माता के दूसरे पति की सम्पति में कोई हक अधिकार नही होता है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा वादग्रस्त आवासीय सम्पति का पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही के संबंध में प्रार्थी लक्ष्मण पुत्र धनराज जी सोनी व आपत्तिकर्ता राजूराम को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने पर प्रार्थी लक्ष्मणकुमार व राजू के द्वारा ग्राम पंचायत, दांतराई को प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा दिनांक 02.11.2021 को यह निर्णय लिया है कि ''प्रकरण सम्पति के अधिकार का होने से दोनों पक्षों को न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निर्णय लेने हेतु कहा गया व न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।'' ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा पारित उक्त निर्णय में यह भी अंकित किया गया है कि ''श्री राजुराम ने बताया कि दादी द्वारा किये गये करार पत्र के हिसाब से पट्टा जारी किया जाये एवं लक्ष्मण सोनी द्वारा करार पत्र पेश किया जिसमें रोनक उर्फ राजु को निर्मला बेन पत्नि प्रकाशभाई यादव का पुत्र होना बताया गया, जबकि राजू के समस्त दस्तावेज राजु पुत्र लक्ष्मणराम सोनी के नाम से बने हुए है।''

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रतियों के अवलोकन से यह पाया गया कि श्रीमती निर्मलाबेन पुत्री प्रकाशभाई यादव का प्रथम विवाह श्री अजीतकुमार राठौड़ पुत्र श्री हरिसिंह राठौड़, निवासी– अहमदाबाद से हुआ था, जिनके विवाह विच्छेद विलेख (छुटाछेडा का करार) दिनांक 04.8.1994 में रोनक को श्रीमती निर्मलाबेन व श्री अजीतकुमार राठौड़ का पुत्र होना अंकित किया हुआ है एवं श्रीमती निर्मलाबेन पुत्री प्रकाशभाई यादव एवं श्री लक्ष्मण पुत्र धनराज जी सोनी के विवाह विलेख दिनांक 13.1.1998 में भी रोनक को श्रीमती निर्मलाबेन व अजीतकुमार राठौड़ का पुत्र होना अंकित किया गया है। जबकि अप्रार्थी

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:57:27 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

रोनक उर्फ राजु की ओर से जवाब में यह कथन किया गया है कि "अप्रार्थी संख्या–2 राजू पुत्र लक्ष्मण कुमार सोनी है, न की रोनक पुत्र अजितकुमार राठौड़। रोनक कौन है? कहां से है? इसका राजू पुत्र लक्ष्मण कुमार से कोइ लेना देना नही है।" अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड व विद्यालय के दस्तावेजों आदि में राजु के पिता का नाम लक्ष्मण सोनी होना अंकित किया हुआ है। अप्रार्थी रोनक उर्फ राजु की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज श्री रमणलाल, मगनलाल, लक्ष्मणकुमार पुत्र धनराजजी एवं गवरीदेवी पत्नि धनराजजी, जाति– सोनी, निवासी– दांतराई के मध्य निष्पादित आपसी बंटवाड नामा दिनांक 13.12.2016 की छाया प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उक्त बंटवाडनामा दिनांक 13.12.2016 के पृष्ठ संख्या 2 में यह अंकित किया हुआ है कि महादेवजी मंदिर जाने वाली गली में स्थित 910 वर्गफीट थाला श्री लक्ष्मणकुमार पुत्र धनराज जी सोनी व गवरीदेवी पत्नि धनराजजी सोनी, निवासी– दांतराई के हक हिस्से में आया है, जिसका उपयोग व उपभोग लक्ष्मणकुमार व गवरीदेवी अपनी इच्छानुसार कर सकोगे तथा लक्ष्मणकुमार के हिस्से में आने वाले भाग में राजु पुत्र लक्ष्मणकुमार का हिस्सा रहेगा।

चूंकि प्रकरण में मुख्यतः विवाद बिन्दु यह है कि अप्रार्थी रोनक उर्फ राजु, प्रार्थी लक्ष्मणकुमार एवं श्रीमती निर्मलाबेन पुत्री प्रकाशभाई यादव का जायन्दा पुत्र है अथवा नही? इस तथ्य का निर्धारण करने हेतु यह न्यायालय सक्षम नही है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16 जुलाई, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * न्यायालय

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:57:27 IST
Reason: SelfAttested